

(असाधारण भाग I — खंड -1)

अधिसूचना

**सरकारी प्रतिभूति (जी एस) की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2023: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूति, की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्ता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
7.17% सरकारी प्रतिभूति, 2030	17 अप्रैल, 2023	07-00-00	17 अप्रैल, 2030	मूल्य	समान	7,000
नई सरकारी प्रतिभूति, 2037	24 जुलाई, 2023	14-00-00	24 जुलाई, 2037	लाभ	समान	12,000
7.25% सरकारी प्रतिभूति, 2063	12 जून, 2023	40-00-00	12 जून, 2063	मूल्य	विविध	12,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति में ₹ 2,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएंगी।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूति पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 21 जुलाई, 2023 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह 10:30 बजे से पूर्वाह 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह 10:30 बजे से पूर्वाह 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**जब निर्गमित कारोबार**

4. ये प्रतिभूतियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'जब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

**निर्गम की तारीख और प्रतिभूति के लिए भुगतान**

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वैबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर 21 जुलाई, 2023 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 24 जुलाई, 2023 अर्थात् निर्गम/ पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूति के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोट्रॉफ ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोट्रॉफ ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और प्रतिभूति का पुनर्भुगतान**

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोट्रॉफ होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूति का पुनर्भुगतान परिपक्ता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	पिछले कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोट्रॉफ ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
7.17% सरकारी प्रतिभूति, 2030	7.17	नई प्रतिभूति	23 जुलाई, 2023	17 अक्टूबर और 17 अप्रैल
नई सरकारी प्रतिभूति, 2037	लाभ आधारित*	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	24 जनवरी और 24 जुलाई
7.25% सरकारी प्रतिभूति, 2063	7.25	नई प्रतिभूति	23 जुलाई, 2023	12 दिसम्बर और 12 जून

\*प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्ता दर की कट औफ़ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

31 अगस्त 2023

(आशीष वच्चानी)

अपर सचिव, भारत सरकार